ऋण की सुगमतापूर्वक उपलब्धता के लिए साधारण तरीके

1655. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या लघु उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये लोगों को सुगमतापूर्वक ऋण देने के उद्देश्य से वर्तमान नियमों की तुलना में अब क्या साधारण तरीके अपनाये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्लाह) : शिल्पियों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण बढ़ाने के बारे में विशिष्ट उपाय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

विवरण

शिल्पियों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को बैंक ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 12 दिसम्बर, 1978 को जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख बातें

1. इस उप-क्षेत्र को 25,000/- रुपये तक का ऋण उपकरण वित्त और कार्यकारी पूंजी अथवा दोनों के लिए एक समेकित सावधिक ऋण के रूप में मंजूर किया जाना चाहिए । जिस के वापस अदा करने की अवधि 7 से 10 वर्ष अथवा अधिक हो ।

2. साधारणत: इस वर्ग के लिये मार्जिन पर जोर दिया जाना चाहिये ।

3. समेकित सावधिक ऋण के बारे में पिछड़े हुए जिलों में $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से और दूसरे इलाकों में 11 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा ।

4. अति लघु (टाइनी) क्षेत्र को दिये जाने वाले सावधिक ऋणों पर ब्याज की दर 11 प्रतिशत होगी । 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये के बीच के कार्यकारी पूंजी विषयक ऋण सीमाओं पर बैंक $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से ब्याज वसूल कर सकते हैं ।

5. 1 लाख रुपये तक के सभी प्रस्ताव 30 दिन की अवधि के भीतर निपटा दिये जाने चाहियें । इस के अलावा बैंकों को सलाह दी गई है कि 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदन किसी उच्चतर प्राधिकारी को भेजे बगैर मंजूर कर दिये जाने चाहियें और बैंकिंग प्रणाली में जिला स्तर पर ही शक्तियों के समुचित प्रत्यायोजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासकीय तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये ।

Anomalies in wage structure of class I officers of LIC

1657. SHRI SAUGATA ROY: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether Life Insurance Corporation class I officers have been demonstrating for some time past against anomalies in the LIC wage structure;

(b) whether the Finance Minister had assured on November 28 that a satisfactory solution would be found to the problem of anomalies within two months;

(c) the reasons for non-implementation of the assurance; and

(d) the steps the Government is going to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) and (d). Difference in the DA formulate applicable to Class I officers and Class III and IV employees of LIC is a major factor in the growth of anomalies. The basic solution to this problem has therefore, to be found through a revision in the DA formula applicable to Class III and IV employees.

The wage agreement between the LIC Management and Class III and IV employees having expired in March 1977, negotiations have to be conducted to work out a new wage agreement Since removal of the anomalies through a wage settlement was expected to take quite sometime, Government decided to grant interim monetary relief ranging between Rs. 75/- and Rs. 250/- p.m. at various pay-levels to officers of the LIC. In addition the officers stagnating at Rs. 2400/- have also been granted relief of Rs. 100/- each. The interim relief so given will be set off against the future revision in the scale of pay and allowances.